

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज,
गया।

पटना, दिनांक- 12/10/2018

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपत्र कोड-20-2210051050007 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 9,61,56,750/- (रूपये नौ करोड़ एकसठ लाख छप्पन हजार सात सौ पचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पत्रांक-1573, दिनांक-19.09.2018 के आलोक में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को विपत्र कोड-20-2210051050007 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 9,61,56,750/- (रूपये नौ करोड़ एकसठ लाख छप्पन हजार सात सौ पचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2), दिनांक-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं०-2190/वि०(2), दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0007-मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।


5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से विवरणी के व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

Q

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0007.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/अ0ना0म0मे0कॉ0-01/2018-55(1)क/स्वा0, पटना, दिनांक-12/10/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपत्र कोड-20-2210051050007 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में
राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0007.01.01 वेतन	235262000	176446500	58815500	235262000	0
0007.01.03 जीवन यापन भत्ता	266060000	199545000	66515000	266060000	0
0007.01.04 मकान किराया भत्ता	168410000	126307500	42102500	168410000	0
0007.01.05 परिवहन भत्ता	30110000	22582500	7527500	30110000	0
0007.01.06 चिकित्सा भत्ता	23640000	17730000	5910000	23640000	0
0007.01.07 अन्य भत्ता	330000	247500	82500	330000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	284117000	213087750	71029250	284117000	0
0007.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	600000	300000	300000	600000	0
0007.11.01 यात्रा व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0007.13.01 कार्यालय व्यय	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0007.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	100000	100000	200000	0
0007.13.03 दूरभाष	155000	77500	77500	155000	0
0007.13.04 विद्युत प्रभार	30000000	30000000	0	30000000	0
0007.13.05 विधि प्रभार	200000	200000	0	200000	0
0007.13.06 वर्दी/पोशाक	250000	125000	125000	250000	0
0007.14.01 किराया महसूल एवं कर	500000	500000	0	500000	0
0007.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	50000	25000	25000	50000	0
0007.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	50000	50000	100000	0
0007.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0007.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1000000	500000	500000	1000000	0
0007.21.02 दवा भण्डार	400000	300000	100000	400000	0
0007.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	10000000
0007.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0007.28.02 संविदा सेवाएँ	50000000	37500000	12500000	50000000	0
0007.34.01 छात्रवृत्ति/बजीफा	10000000	10000000	0	10000000	0
0007.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	12500000	6250000	6250000	12500000	0
कुल योग:-	410272000	304115250	96156750	400272000	10000000

(रुपये नौ करोड़ एकसठ लाख छप्पन हजार सात सौ पचास)

55(1)क
12-10-2018

20/11/18
सरकार के विशेष सचिव